

सं०सं०-14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर
कंकड़बाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 9.5.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राजीव सिंह पिता-रामेश्वर सिंह ग्राम-चरैया रहिका पो०-चनका थाना-के० नगर जिला-पूर्णिया	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	राम एकबाल तिवारी पिता-स्व० शिव मंगल तिवारी ग्राम-पो०-धनहर दिहुली थाना-रामगढ़वा जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,70,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 591815 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **1499002109000623** खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

४

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक


प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...697815.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

ज्ञापांक 829(14)

निदेशक प्रमुख
पटना, दिनांक 15-5-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
21.5.18

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
लोहिया नगर पटना 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.5.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अनिता देवी पति-शंभु चौधरी ग्राम-मोगलपुरा पक्की गौरैया पो०-झाउगंज थाना-खाजेकला जिला-पटना	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	धंजीत रजक पिता-सुनील रजक ग्राम-पो०-जमुआव थाना-संदेश जिला-भोजपुर आरा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	रामाकान्त राम पिता-स्व० जंगबहादुर राय ग्राम-रघुरामपुर पो०-चांदमारी थाना-साहपुर जिला पटना	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	रघुनाथ शर्मा पिता-जय नारायण शर्मा ग्राम-नेउरी पो०-सरैया नरेन्द्र थाना-बरौली जिला-गोपालगंज	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	ललिता देवी पति-स्व० लक्ष्मण साव ग्राम+पो०-सतमास थाना-खीजरसराय जिला-गया	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।

८२

6	कुमारी उत्तम पति-सुनील कुमार पटेल ग्राम-भभुआ वार्ड -6 पो0+थाना-भभुआ जिला-भभुआ, कैमुर	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000 /-(एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	उषा देवी पति-जगेश सिंह ग्राम-पो0-पिअनीया थाना-उदवन्त नगर जिला-भोजपुर आरा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	अर्चना सिंह पति-नवीन कुमार ग्राम-आदर्श बिहार कालोनी रुकनपुरा, पो0-बी0भी0 कालेज थाना-रूपसपुर जिला-पटना	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000 /-(एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 14,10,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि 14,10,000 /-(चौदह लाख दस हजार.) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 694790 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 440720110000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुपयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 694790 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 832(14)

पटना, दिनांक 15.5.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/18
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 9.5.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रोहित आनन्द पिता-राम कुमार कुशवाहा ग्राम-चक रसलपुर पो०-राना बिगहा थाना-दीप नगर जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	कैलाशी देवी पति-चन्द्रभान सिंह ग्राम-लाहरपा पो०-अगियांव थाना-गडहनी जिला-भोजपुर, आरा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	रूही बेगम पति-अब्दुल गफ्फार ग्राम-पो०-नोनार थाना-पीरो जिला-भोजपुर	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,70,000/- (एक लाख सतर हजार) स्वीकृत।
4	गोपाल साव पिता-बसंत लाल साव ग्राम-पो०-सिउर थाना-रोह जिला-नवादा	नी रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	गौरव मांझी पिता-दया राम मांझी ग्राम-मनीपुर पो०-जवाही जगदीशपुर थाना-ब्रहमपुर जिला-बक्सर	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,60,000/-

2

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,60,000/- (आठ लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 694814 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 694814 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

834(14)

पटना, दिनांक 15.5.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/18
निदेशक प्रमुख
21.5.18